**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4729**

**सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941(शक)**

**श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना**

**4729. श्री संजय सेठ:**

**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण जिन संगठनों/कंपनियों जिनकी संपत्ति जब्त की गई है उनकी संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वे प्रावधन क्या हो जिनके तहत समय पर श्रमिकों को वेतन नहीं देने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान किया जाये क्या कदम उठाए गए हैं और इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) से (ग): "श्रम" समवर्ती सूची में आता है। केंद्र और राज्य सरकारें संबंधित श्रम कानूनों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं। श्रमिकों को वेतन का भुगतान न करने के कारण जिन कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली गई हैं उनकी संख्या और ब्योरों से संबंधित सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य श्रम तंत्रों के माध्य (केन्द्रीय)म से श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु वेतन भुगतान संबंधी-मजदूरी के कम भुगतान तथा गैर/उल्लंघनों को रोकने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत नियमित निरीक्षणों का आयोजन करता है।

*****